केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है

हर सीमावर्ती जिले के लिए 360° सुरक्षा ग्रिड बने, सीमांत क्षेत्रों के नागरिक, राज्य सरकार का तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इसके लिए कार्य करें

अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किमी के दायरे में अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाए

सीमा सुरक्षा के लिए BSF, CBDT, NCB और राज्य सरकार का तंत्र मिलकर काम करे, घुसपैठ, नारकोटिक्स, अतिक्रमण, आतंकी वित्तपोषण और सीमा-पार अपराधों पर कसे शिकंजा

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी बढ़ी, बैंकों का कानूनी-वित्तीय अनुपालन, बड़े business establishments का सत्यापन और उनके फंडिंग स्रोतों की जांच सुनिश्चित करें

म्यूल अकाउंट, फर्जी कंपनियों और फर्जी आधार कार्डों पर रहेगी पैनी नजर, तस्करी पर लगेगा अंकुश

जिले, अपराध और नशे की समस्या के स्रोतों, पैटर्न और नेटवर्क का गहराई से अध्ययन कर स्थायी समाधान विकसित करें, ताकि ये समस्याएं दोबारा न पनपें

साइबर अपराधों पर लगाम के लिए ‘1930’ कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग हो, तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए

अंतिम छोर तक सुशासन, आर्थिक अपराधों पर अंकुश और infrastructural gaps को पूरा करने के लिए VVP-II का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो

प्रविष्टि तिथि: 27 MAY 2026 2:51PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर एवं फलोदी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सीमा प्रबंधन को सशक्त एवं व्यापक बनाया जाए।

बैठक में प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस एकीकृत प्रयास में स्थानीय नागरिकों, राज्य सरकार की मशीनरी और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सीमा प्रबंधन को और अधिक comprehensive एवं मजबूत बनाया जा सके।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-15 किलोमीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का निर्देश दिया।

श्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य सरकार की मशीनरी के साथ समन्वित सीमा प्रबंधन रणनीति अपनाए जाने पर बल दिया, ताकि घुसपैठ, नारकोटिक्स तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवादी फंडिंग और अन्य सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जिला मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों में पूर्ण कानूनी एवं वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करें, उनके फंडिंग स्रोतों की जांच करें, म्यूल खातों एवं शेल कंपनियों को ट्रैक करें, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करें तथा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि साइबर अपराधों के त्वरित निवारण के लिए '1930' कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग किया जाए तथा क्षेत्र में कानून प्रवर्तन व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया जाए।

बैठक के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया गया, जिसके माध्यम से अंतिम छोर तक शासन को सुदृढ़ करना, आर्थिक अपराधों को रोकना, बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरी करना तथा सीमावर्ती जनसंख्या को समर्थन देना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में रेखांकित किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही, केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

****

RK/RR/PR

(रिलीज़ आईडी: 2265808) आगंतुक पटल : 537

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Assamese , Bengali , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Kannada